

फर्द अहकाम

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
विनय शर्मा एड0 बनाम लो.सू.अधि. प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर ९०... सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
04.11.2025	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त श्री विनय शर्मा एड0 निवासी अनाह गेट, शास्त्री पार्क, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत मूल प्रार्थना पत्रों (आरटीआई मूल आवेदन पत्र) की फोटो प्रति संलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत अपील के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक है। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लौटाते हुए लिखा जावे कि वह अपील के साथ आरटीआई का मूल प्रार्थना पत्र आदि दस्तावेजात संलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>945 13/11/25 अपील वाकिर</p>